

आदेश - पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, बरडीहा(गढ़वा)।

अनुमण्डल-गढ़वा

जिला-गढ़वा

अंचल -बरडीहा

वाद सं० :- 07/1022-23 Remsrao Pk 92035680

वाद का प्रकार :- विधिवादा

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
17/2/22	<p>न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक-39/न्या0, दिनांक-18.01.2022 के आलोक में आवेदक भृगुन यादव एवं देवरूप यादव पिता स्व० महावीर यादव ग्राम-कोल्हुआ, अंचल-बरडीहा, जिला-गढ़वा द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवेदन पत्र पर राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन किया हुआ है। प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में कहा गया है कि ग्राम- कोल्हुआ के खाता सं० 49 प्लॉट सं० 45 रकबा 0.10 ए० भूमि से संबंधित कागजात जामा करने हेतु दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p><i>[Signature]</i> 17.2.22 अंचल अधिकारी, बरडीहा।</p>	<p><i>[Signature]</i> 17.2.22 अंचल अधिकारी, बरडीहा।</p>
3/3/22	<p><i>[Signature]</i> 14.3.22 अंचल अधिकारी, बरडीहा।</p>	<p><i>[Signature]</i> 14.3.22 अंचल अधिकारी, बरडीहा।</p>
28/3/22	<p><i>[Signature]</i> 28.3.22 अंचल अधिकारी, बरडीहा।</p>	<p><i>[Signature]</i> अंचल अधिकारी, बरडीहा।</p>

6/4/22

સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં

સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં

સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં

સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં
સાંસ્કૃતિક સુવર્ણચિત્ર દિવસના આ પગલાંમાં

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
22/4/22	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक / प्रभारी अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि ग्राम-कोल्हुआ के खाता सं०-49 प्लॉट सं०-45 रकवा-0.10 ए० भूमि का मॉग भृगुन यादव वो देवरूप यादव पिता महावीर यादव सा०-कोल्हुआ के नाम से मॉग पंजी-2 के पृष्ठ सं०-127/3 पर दर्ज है। जो आवेदक को भूमि बन्दोवस्ती वाद सं०-33/2000-01 अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा के आदेशानुसार स्वीकृति के पश्चात् रसीद निर्गत होता है। द्वितीय पक्ष रामकेश यादव वो हरिनाथ यादव वो हरिनारायण यादव पिता गटाई यादव तथा कामेश्वर यादव वो अशोक यादव पिता हरिनाथ यादव एवं निर्मल यादव वो सुरेन्द्र यादव पिता रामकेश यादव सा०-कोल्हुआ झोपड़ी बनाकर विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। उक्त स्थल का झोपड़ी हटाने संबंधी भूमि का बन्दोवस्ती पट्टा के आधार पर सिमांकन कराया जा सकता है।</p> <p>अतः अंचल अमीन को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि का सिमांकन करने संबंधी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>अंचल अधिकारी, बरडीहा(गढ़वा)।</p> <p>अंचल अधिकारी, बरडीहा(गढ़वा)।</p>	